Regarding maintaining law and order situation in Tribal Dominated Area pf [a;wada Vaslley in Rajasthan

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : सभापति महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । उदयपुर, राजस्थान की जनता का बहुत-बहुत आभार, उन्होंने राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भेजा ।

महोदया, राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें विकास की काफी गतिविधियां चल रही हैं और भारत सरकार के साथ-साथ राज्य की भी काफी गतिविधियां चल रही हैं, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य की सारी गतिविधियां शामिल हैं ।

महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सन् 2018 से 2023 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं होती, ऐसा भ्रम फैलाया गया था और दूसरा, संस्कृति पर आक्रमण करते हुए Protection of Civil Rights Act, जो कि 1955 का संसद का कानून है, उसकी धारा 3 के विरुद्ध आदिवासी हिंदू नहीं हैं, ऐसा भ्रम भी फैलाया गया । उसके उपरांत उस क्षेत्र में युवाओं को भड़काकर काकरी डूंगरी का कांड किया गया, जिसमें दो आदिवासी युवा, किशोर गोली के शिकार हुए ।

मैं यह आह्वान करना चाह रहा हूं और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि इस भ्रम की वजह से, कि आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं होती, इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में पत्थरबाज पैदा हो रहे हैं और पूरी कानून व्यवस्था भंग हो रही है । पिछले दिनों बलवाड़ा घाटी सहित काफी जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि शाम को सात बजे के बाद चलना मुश्किल हो गया है ।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए हो या अन्य एजेंसियां हों, वहां जो भी उत्पात हो रहा है, जो बाहरी तत्व वहां आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

13.00 hrs